न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1028 सन 2020

अनवान :–

1. लिछमण पुत्र पतराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र राधेराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र राधेराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 केएन के खाता संख्या 45/46 की कुल 1.2650हैक भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसाार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रह है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएन के खाता संख्या 45/46 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसाार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रह है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएन के खाता संख्या 45/46 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब रोही मोजा चक 1 के.एम. के खाता संख्या 45/46 की कुल1.2650हैक्‍ भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लिछमण पुत्र पतराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रहलाद पुत्र राधेराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र राधेराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1028 सन 2020 निर्णय दिनांक– 04/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650हैक भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब रोही मोजा चक 1 केएम के खाता संख्या 45/46 की कुल1.2650हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते